BA-2, Paper - 3rd
Topic - Emergency Provisions (आपातकालीन उपबंध)
Date - 09.07.2020
Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC, VKSU.

आपातकालीन प्रावधान - संविधान के भाग - 18, अनुच्छेद 352 - 360 तक इमरजेंसी उपबंध उल्लिखित है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन्हें जोड़ने का उद्देश्य की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। यह संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है।

संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है:-

1. युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल (अनुच्छेद 352) - को राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में जाना जाता है। संविधान में इस प्रकार के आपात काल के लिए 'आपातकाल की घोषणा' वाक्य का प्रयोग किया गया है।
2. राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपात-काल को राष्ट्रपति शासन (Art 356) के नाम से जाना जाता है। इसे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है- राज्य आपातकाल तथा संवैधानिक आपातकाल।
3. भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल, वित्तीय आपातकाल (Article 360) कहा जाता है। भारत देश में अब तक वित्तीय संकट घोषित नहीं किया गया है।

व्यवस्थापिका को यह शक्ति प्रदान की गई है। इस उद्देश्य से की आपातकाल उतने ही समय के लिए रहे, जितने समय के लिए आवश्यक हो; संवैधानिक व्यवस्था जल्दी अपने पूर्ववत अवस्था में लौट आए।

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय आपातकाल (Art-352) -

1. यह केवल तब उद्घोषित की जाती है जब भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा पर युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो।

2. इसकी घोषणा के बाद राज्य कार्यकारिणी व विधायिका संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती रहती है। इसका प्रभाव यह होता है कि राज्य की विधायिका एवं प्रशासनिक शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती है।

3. इसके अंतर्गत संसद राज्य विषयों पर स्वयं नियम बनाती है अर्थात यह शक्ति किसी अन्य निकाय अथवा प्राधिकरण को नहीं दी जाती है।

4. इसके लिए अधिकतम समयावधि निश्चित नहीं है इसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद से अनुमति लेकर अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है।

5. इसके अंतर्गत सभी राज्यों तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं।

6. इसकी घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद में विशेष बहुमत द्वारा पारित होने चाहिए।

7. यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है।

8. लोकसभा इसकी घोषणा वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है।

1978 के 44 वें संशोधन एक्ट द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द से विस्थापित कर दिया गया।

Next notes →

Scanned with CamScanner